

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक/सां.अनु-45/2025

टीकमगढ़, दिनांक 03 ^{सितम्बर} ~~जून~~ 2025

मैं श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.), मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422, 441, 448 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, व्यवहार न्यायालय निवाड़ी में श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, की पदस्थापना होने से इस कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 104/सां. अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 में उक्त आदेश में आंशिक विलोपन किया जाकर निम्नानुसार संशोधित कार्यविभाजन आदेश जारी करती हूँ :-

क्रं.	न्यायालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	स.क्रं.	विवरण/प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई कर, निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हेतु तहसील – निवाड़ी				
19.	प्रथम जिला न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	माह जुलाई से दिसम्बर तक राजस्व तहसील निवाड़ी, पृथ्वीपुर एवं ओरछा	16	व्यवहार अपील:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश निवाड़ी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ओरछा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीलें।
20.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी (श्री सतीश कुमार गुप्ता)	सत्र खण्ड	8	आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण याचिका :- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं जे.एम.एफ.सी. निवाड़ी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं जे.एम.एफ.सी. निवाड़ी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (प्रथम) एवं जे.एम.एफ.सी. ओरछा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ओरछा के न्यायालय के अति. न्यायाधीश एवं जे.एम.एफ.सी. ओरछा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं जे.एम.एफ.सी. ओरछा के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें एवं पुनरीक्षण याचिका।

तथा तहसील निवाड़ी हेतु जारी चार्जप्रभार में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार चार्ज प्रभार आदेश जारी किया जाता है:-

क0	न्यायालय	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निवाड़ी :-				
21 ए	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)
22	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)
24	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ओरछा (श्री उमेश भगवती)
25	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)
26	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवाड़ी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्री मनीष छापरिया)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, निवाड़ी (श्रीमती सोनम वर्मा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी के न्यायालय के अति. न्यायाधीश (श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा उक्त संशोधित आदेश पूर्व में जारी कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 104/सां.अनु-45/2025 टीकमगढ़, दिनांक 24/04/2025 का अंश रहेगा तथा पूर्व में जारी उक्त कार्यालयीन आदेश शेष यथावत् रहेगा।

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

पृ0कमांक/2297/सां0अनु0-45/2025

टीकमगढ़, दिनांक :- 03 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवाड़ी (म0प्र0)
2. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, टीकमगढ़
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निवाड़ी/ओरछा
4. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
5. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़/निवाड़ी
6. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड निवाड़ी/ओरछा
7. प्रस्तुतकार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ निवाड़ी/ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
10. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
11. संबंधित श्री
- क. 1 लगायत 11 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
12. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई-मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न- विविध आदेश

(श्रीमती प्रवीणा व्यास)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)